


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-10072024-255300
CG-RJ-E-10072024-255300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

No. 2542]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 9 जुलाई, 2024

का.आ. 2677(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे(संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इससे पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य के सिरोही में तरंगा हिल -अंबाजी -आबूरोड - नई बड़ी रेल लाईन परियोजना कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला	राज्य
1	2	3	4
1	जिला कलेक्टर, सिरोही	सिरोही	राजस्थान

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-9]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAY**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 9th July, 2024

S.O. 2677(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F(6) of Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of Taranga Hill – Abu Road via Ambaji New Broad Gauge Line Project in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1	District Collector, Sirohi	Sirohi	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C 443599200 Vol. IX]

VED PRAKASH, Chief Admin. Officer